

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00717

दिनांक 24.07.2018

देवा में,

श्री गिरीश चन्द्र ध्यानी,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 13.07.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 18.07.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 655) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 19.07.2018 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । यदि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रामाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

अध्यक्ष द्वारा

(ए. के. शर्मा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई. सेल,

दूरभाष - 011-26172690